"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/तक. 114-009/2003/20-01-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 11] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 14 मार्च 2008—फाल्गुन 24, शक 1929

भाग 3 (1)

विविध

निविदा सूचनाएं

Raipur, the 7th March 2008

TENDER CANCELLATION NOTICE

No. GB-IV/Paper-(7) /2007/2008/373.— With the reference to the Short Tender Notice No. GB-IV paper-(7) 2007-2008/384 dated 26th February 2008 published in Govt. Gazette, News papers and download on www.etendersindia. net for purchase of Drawing Paper, called on 14-3-08 is being cancelled due to unavoidable reasons.

Sd/-
(N. S. Mandavi)
Director,
Govt. Printing & Stationery Chhattisgarh
Raipur (C. G.)

न्यायालयों की सूचनाएं

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक, लोक न्यास, दुर्ग

[छत्तीसगढ़ लोक न्यास अधिनियम 1951 का 30 की धारा 5 की उपधारा (2) और छ. ग. लोक न्यास नियम 1962 का नियम 5 (1) देखिये]

दुर्ग, दिनांक 25 फरवरी 2008

क्रमांक/क्यू/प्र. 1/अ.वि.अ./2007.—चूंकि सदर (प्रधान) श्री सुखराम मरकाम आ. स्व. मेहतरराम मरकाम निवासी तितुरडीह जिला- दुर्ग (छ. ग.) द्वारा "श्री योग वेदान्त सेवा समिति ट्रस्ट भिलाई" (छ. ग.) ने छत्तीसगढ़ लोक न्यास अधिनियम 1951 की धारा 5 के अधीन अनुसूची में लोक न्यास की तरह निर्दिष्ट की गयी न्यास पंजीयन के लिये आवेदन किया है. एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक 24-3-2008 को विचार के लिये लिया जावेगा.

कोई व्यक्ति जो उक्त न्यास या संपत्ति में हित रखता हो और उसके बारे में कोई आपत्तियां करने या सुझाव देने का विचार रखता हो, इस सूचना लोक न्यास है और उसका गठन करती है.

अत: मैं, क्यू. ए. खान, अनुविभागीय अधिकारी, दुर्ग एवं पंजीयक, लोक न्यास, दुर्ग अपने न्यायालय में दिनांक 24-3-2008 को उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) के द्वारा यथा अपेक्षित जांच करना प्रस्थापित करता हूं.

अत: एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या संपत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी न्यासधारी या उसमें हित रखने वाले किसी आपत्ति का सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक मास के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत कर सकता है और कोर्ट में मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिश: या अभिभाषक या अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिये ग्रहण नहीं किया जायेगा.

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता व संपत्ति का विवरण)

(1)	लोक न्यास का नाम और पता	:	श्री योग वेदान्त सेवा समिति ट्रस्ट भिलाई छ. ग.
(2)	संपत्ति	:	रुपये 35,000/- (पैंतीस हजार रुपये मात्र) समाज द्वारा संग्रहित राशि.

क्यू. ए. खान,
अनुविभागीय अधिकारी.

न्यायालय, पंजीयक, लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी, साजा (जिला-दुर्ग)

प्रारूप-चार

[नियम 5 (1) देखिये]

[छत्तीसगढ़ पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1951 (1951 का 30) की धारा 5 की उपधारा (2) और छ. ग. लोक न्यास नियम 1962 का नियम 5 (1) देखिये]

साजा, दिनांक 4 मार्च 2008

पंजीयक, लोक न्यास साजा जिला-दुर्ग के समक्ष

क्रमांक 214/प्र. 1/अ.वि.अ./2008.—चूंकि संचालन समिति लोक न्यास श्री चण्डी मंदिर एवं चण्डी आश्रम सार्वजनिक न्यास निवासी नेवनारा, तहसील बेरला, जिला दुर्ग ने छ. ग. पब्लिक लोक न्यास अधिनियम 1951 (1951 का 30) की धारा 4 के अधीन अनुसूची में लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट की गयी सम्पत्ति के पंजीयन के लिये आवेदन किया है. एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक 15-4-2008 को विचार के लिये लिया जायेगा.

कोई व्यक्ति जो उक्त न्यास या संपत्ति में हित रखता हो और उसके बारे में कोई आपत्तियां करने या सुझाव देने का विचार रखता हो, इस सूचना लोक न्यास है और उसका गठन करती है.

अत: मैं, डी. के. सिंग, पंजीयक, लोक न्यास साजा, जिला दुर्ग का लोक न्यासों का पंजीयक, अपने न्यायालय में दिनांक 15-4-2008 को उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) के द्वारा यथा अपेक्षित जांच करना प्रस्थापित करता हूं.

अत: एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या संपत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी न्यासधारी या उसमें हित रखने वाले और किसी आपत्ति या सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक मास के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करता और कोर्ट में मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिश: या अभिभाषक या अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिये ग्रहण नहीं किया जायेगा.

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता व संपत्ति का विवरण)

(1)	लोक न्यास का नाम और पता	:	लोक न्यास श्री चण्डी मंदिर एवं चण्डी आश्रम सार्वजनिक न्यास नेवनारा, तहसील बेरला, जिला-दुर्ग.
(2)	संपत्ति का विवरण	:	ख. नं. 725, 1361, 892 रकबा क्रमश: 0.52, 1.50, 0.92 कुल योग रकबा 2.94 हे.

आज दिनांक 4-3-2008 को मेरे स्वत: के हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

डी. के. सिंग,
अनुविभागीय अधिकारी.

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी (रा.)/लोक न्यास पंजीयन अधिकारी, खरसिया, जिला-रायगढ़

खरसिया, दिनांक 26 फरवरी 2008

प्रकरण क्रमांक 01/बी 113/2007-08
नजूल नगर-खरसिया-तहसील खरसिया

1. श्रीमति मणीदेवी बेवा स्व. मांगेलाल अग्रवाल
2. श्री ऋषिकुमार आत्मज मांगेलाल अग्रवाल
3. श्री कमलकुमार आत्मज स्व. मांगेलाल अग्रवाल
4. श्री संजयकुमार आत्मज स्व. मांगेलाल अग्रवाल
5. श्री विवेककुमार आत्मज श्री ऋषिकुमार अग्रवाल

सभी निवासी खरसिया, तहसील खरसिया, जिला-रायगढ़ (छ. ग.) - आवेदकगण

बनाम

छत्तीसगढ़ शासन - अनावेदकगण

आदेश

(पारित दिनांक 20 दिसम्बर 2007)

क्रमांक 75/प्रस्तु-1/2008.—यह प्रकरण आवेदिका मणीदेवी बेवा स्व. मांगेलाल अग्रवाल एवं अन्य 4 निवासी खरसिया, तहसील-खरसिया, जिला रायगढ़ (छ. ग.) द्वारा छत्तीसगढ़ लोक न्यास की धारा 4 के तहत प्रस्तुत आवेदन पर प्रारंभ किया गया.

आवेदिकागणों द्वारा प्रस्तुत आवेदन के आधार पर नजूल नगर खरसिया के शासकीय अस्पताल परिसर में ट्रस्ट निर्माण हेतु ईश्तहार जारी कर दावा/आपत्ति आमंत्रित किया गया. नियत दिनांक तक कोई आक्षेप/दावा प्राप्त नहीं हुआ.

प्रकरण में प्रस्तावित ट्रस्ट में अचल सम्पत्ति नहीं होना तथा मुख्य ट्रस्टी निर्माण श्रीमति मणीदेवी बेवा स्व. मांगेलाल अग्रवाल निवासी खरसिया के द्वारा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, रायगढ़, शाखा खरसिया में पांच लाख रुपये जमाकर ट्रस्ट का निर्माण किया गया है. जिसका मुख्यालय खरसिया है.

नामित ट्रस्ट का नाम "मांगेलाल, ऋषिकुमार चेरिटेबल ट्रस्ट" रखा गया है जिसका मुख्य उद्देश्य लोक कल्याणकारी है जिसमें अस्पताल, मेडिकल, स्कूल, मेडिकल कालेज, नर्सिंग इन्स्टीट्यूट, डिस्पेन्सरी, मेटर्निटी होम (प्रसूति गृह), बच्चों के कल्याणकारी संस्था, धर्मशाला के निर्माण में सहयोग देना तथा इसी तरह के चल रहे स्कूल, महाविद्यालय, पुस्तकालय, पठन कक्ष, विश्वविद्यालय, प्रयोगशाला, धर्मशाला, खोज संस्थायें तथा अन्य संबंधित केन्द्रों में जो भारत में विद्यार्थी पढ़ते हों के विकास एवं आधुनिक पढ़ाई के लिये तथा ऐसे ही संस्थाओं से संबंधित विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति तथा अन्य सुविधा हेतु पुस्तक वितरण, छात्रवृत्ति, मेधावी छात्रों को मेडल जैसे विस्तृत पढ़ाई के लिये जनहित में बिना भेदभाव के तथा बिना लिंग भेदभाव के दिया जावेगा तथा इसी तरह के संस्थाओं से संबंधित बढ़ावा देने तथा विस्तार करने, प्रगति के लिये अनुदान जैसे लोक कल्याणकारी भावना से निर्माण किया गया है, जिसमें निम्नांकित सदस्य है :—

1.	श्रीमती मणीदेवी बेवा स्व. मांगेलाल अग्रवाल	मुख्य ट्रस्टी
2.	श्री ऋषिकुमार आत्मज मांगेलाल अग्रवाल	ट्रस्टी
3.	श्री कमलकुमार आत्मज स्व. मांगेलाल अग्रवाल	ट्रस्टी
4.	श्री संजय कुमार आत्मज स्व. मांगेलाल अग्रवाल	ट्रस्टी
5.	श्री विवेककुमार आत्मज श्री ऋषिकुमार अग्रवाल	ट्रस्टी

प्रकरण में संलग्न दस्तावेज "ट्रस्ड डीड" के अनुसार ट्रस्टी वर्णित नियम एवं शर्तों का पालन करने की शर्त पर सार्वजनिक ट्रस्ट के रूप में "मांगेलाल ऋषिकुमार चेरिटेबल ट्रस्ट" पंजीयन किया जाता है.

न्यासियों का यह कर्त्तव्य होगा कि न्यास का आय-व्यय का ब्यौरा रखेंगे एवं प्रतिवर्ष अंकेक्षण करायेंगे. प्रत्येक तीन माह में ट्रस्ट की बैठक आयोजित करेंगे तथा वर्ष में एक बार सामान्य सभा का आयोजन किया जावेगा. नामित ट्रस्ट तथा उसकी पूंजी हमेशा बनी रहेगी. उसे निरस्त नहीं किया जा सकेगा.

आज दिनांक 20-12-2007 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पदमुद्रा से आदेश पारित एवं घोषित.

एच. आर. कंवर,
अनुविभागीय अधिकारी.

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी, कवर्धा, जिला-कबीरधाम

प्रारूप-चार
[नियम 5 (1) देखिये]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम 1951 (1951 का 30) और म. प्र. लोक न्यास नियम 1962 के नियम 5 (1)]

कवर्धा, दिनांक 31 जनवरी 2008

लोक न्यासों के पंजीयक कबीरधाम जिला के समक्ष

क्रमांक 126/अ.वि.अ./प्रवा. 1/2008.—यत: कि श्रीमती रजनी देवी एवं श्री लोकचंद मुणोत, निवासी गायत्री मंदिर के पास कवर्धा, तहसील कवर्धा ने मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम 1951 (1951 का 30) की धारा 4 के अन्तर्गत एक आवेदन अनुसूची में विनिर्दिष्ट सम्पत्ति के लिये लोक न्यास के रूप में पंजीकृत किये जाने के लिये आवेदन किया है. एतद्द्वारा सूचना पत्र दिया जाता है कि कथित आवेदन पर 45 दिवस पर मेरे न्यायालय में विचार में लिया जाएगा.

किसी आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुए कथित न्यास या सम्पत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति को इस सूचना पत्र के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिये और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्ति: अथवा प्लीडर या अभिकर्त्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिये. उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरान्त प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जाएगा.

अनुसूची
(लोक न्यास का नाम, पता एवं संपत्ति का विवरण)

(1)	लोक न्यास का नाम और पता	1.	श्री लोकचंद मुणोत, उम्र 74 वर्ष आ. स्व. श्री मेघराज जी मुणोत (जैन) निवासी गायत्री मंदिर के पास (संस्थापक ट्रस्टी एवं मैनेजिंग ट्रस्टी).
		2.	श्रीमती रजनी देवी उम्र 69 वर्ष ध.प. श्री लोकचंद मुणोत निवासी गायत्री मंदिर के पास, कवर्धा (संस्थापक ट्रस्टी)
		3.	प्रेमचंद, उम्र 74 वर्ष आ. भीखमचंद मुणोत निवासी-खैरागढ़, जिला राजनांदगांव.

4. उत्तमचंद, उम्र 55 वर्ष आ. स्व. श्री कानमल मुणोत निवासी-राजनांदगांव.

5. गौतम चंद, उम्र 58 वर्ष आ. गुलाबचंद मुणोत निवासी-खैरागढ़, जिला राजनांदगांव.

6. विनोद कुमार, उम्र 40 वर्ष आ. अनुपचंद मुणोत निवासी-सदर बाजार, रायपुर.

7. मनोज कुमार, उम्र 37 वर्ष आ. मदनचंद मुणोत निवासी-खैरागढ़, जिला राजनांदगांव.

8. मूलचंद, 68 वर्ष आ. स्व. श्री मेघराज मुणोत, निवासी-दुर्ग.

9. मोहनचंद, उम्र 56 वर्ष आ. स्व. मेघराज मुणोत, कवर्धा

10. रमेश झाबक, उम्र 45 वर्ष आ. पारसचंद झाबक निवासी-कवर्धा.

11. अध्यक्ष श्री जैन श्वेताम्बर मूर्ति पूजक संघ कवर्धा

(2) संपत्ति का विवरण : स्थावर सम्पति के उस ग्राम या नगर जहां वह स्थित हो, नगर पालिका या सर्वेक्षण या खसरा क्रमांक क्षेत्रफल निर्धारण और वह अधिकार जिस पर वह धारित हो, सम्पत्ति से संबंधित अधिकार अभिलेखों या नगर पालिका अभिलेखों की प्रविष्टियां की प्रमाणित प्रतियां संलग्न करें को भी दर्शाते हुए विवरण :—

ग्राम सैगोना, प. ह. नं. 19, रा. नि. म., कवर्धा में स्थित निर्मित भवन लागत लगभग 35 लाख रुपये निर्मित भवन के अतिरिक्त शेष रिक्त भूमि भूमिस्वामी की होगी, नगद राशि 51000-00 रुपये.

न्यास की स्कीम :—उक्त समस्त संपत्ति ट्रस्ट के अधीन होगा इसके अतिरिक्त कोई अन्य व्यक्ति ट्रस्ट को दान देना चाहे या ट्रस्ट को अन्य स्रोतों से धन अथवा सम्पत्ति प्राप्त होने की संभावना हो तो उस दशा में ट्रस्टीगण के बहुमत के निर्णय के आधार पर दान अथवा अन्य स्रोतों से प्राप्त सम्पत्ति को प्राप्त करेगी अन्यथा नहीं.

औसत सकल वार्षिक आय :—वर्तमान में कुछ नहीं परन्तु भवन निर्माण के बाद 15000/- प्रतिमाह.

विल्लगम :— कुल नहीं.

दिनांक 10-1-2008

सिद्धार्थ दास,
अनुविभागीय अधिकारी.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—20.8.